



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224635
CG-DL-E-22012021-224635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2021/माघ 01, 1942

No. 287]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2021/MAGHA 01, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

का.आ. 318(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का .आ 2306(अ) ,दिनांक 05.06.2018, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 06.06.2018 को प्रकाशित की गयी थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :-

(i) क्रम संख्या 11 जिला "दौसा ", तालुक "रामगढ पंचवारा ", में कॉलम संख्या -(7) में प्रविष्ट "(16) चांदपुर "के स्थान पर "(16) चक चांदपुर" प्रतिस्थापित किया जाए।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन

[फा. सं. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21th January, 2021

S.O. 318(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 2306(E) dated 05.06.2018, published in the Gazette of the India Extraordinary, part II, Section 3, Sub section (ii), dated 06.06.2018, namely:-

In the Schedule to the said notification:

(i) Against serial number 11 relating to District "Dausa", Taluk "Ramgarh Pachwara" in column (7), the entry " (16) Chandpur " shall be replaced by "(16) Chak Chandpur.

Amendment by CALA

Amendment by CALA

[F. No. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/Corr]

RAJESH GUPTA, Director